[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22 December, 2017

S.O…….(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Himachal Pradesh Computerization of Police Society', a body established by the Government of Himachal Pradesh, in respect of the following specified income arising to that body, namely:-

a) amount received in the form of Grant-in-aid; and
b) interest accrued on CCTNS fund.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Himachal Pradesh Computerization of Police Society,-

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial Years 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 and shall apply with respect to the financial year 2017-2018.

[Notification No.100 /2017, F.No.196/7/2015-ITA-I]

V.S.Gaut

(Vinay Sheel Gautam)
Under Secretary to the Government of India

Explanatory Memorandum:-It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii), में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, दिनांक: 27 दिसंबर, 2017

का.आ...............(अ). केंद्रसरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित निकाय, "हिमाचल प्रदेश कंप्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस सोसाइटी" को, उसे होने वाली निम्न विशिष्ट आय के संबंध में एततद्वारा अधिसूचित करती है, यथा:-

(क) अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि; और
(ख) सीसीटीएनएस धनराशि पर प्रोदभूत ब्याज।

2. यह अधिसूचना इस शर्त पर लागू होगी कि हिमाचल प्रदेश कंप्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस सोसाइटी;-

(क) किसी अन्य वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
(ख) पूरे वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति व गतिविधि अपरिवर्तनीय रहेगी; और
(ग) यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (च) केप्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 पर लागू हुई समझी जाएगी और वित्त वर्ष 2017-2018 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना संख्या 100 /2017, फा.सं.196/7/2015-आईटीए-I]

विनय शील गौतम

(विनय शील गौतम)
अवर सचिव, भारत सरकार

व्याख्यात्मक ज्ञापनः- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

सेवा में
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,
नई दिल्ली।